

Greater Noida Industrial Development Authority

169, Chitvan Estate Sector-Gamma, Greater Noida, Gautam Budh Nagar, 201306

PLG/(BP).-30.9.2016/7795

Dated... 28/10/2016

To,

**M/s AR LANDCRAFT LLP
A-66, SECTOR- 63,
NOIDA, Distt. G.B. Nagar**

CONDITIONAL with respect point no 19
vis-à-vis notification 60(A) dated 27-1-1994 and
its amendment from time to time and notification
dated 14-09-2006 issued by Ministry of
Environment & Forest and point no. 20 vis-à-vis
guidelines dt.15.11.2012 of C.G.W.A.

Sir,

With reference to your application no- 66392, dated-24-10-2016 For grant of **Sanction of Building Plan (VILLA -V 1 TO V 8, CLUB -01) on Plot no. REP-01, Sector- 27, Greater Noida** This is to inform you that the sanction is being granted by the Authority with the following conditions:

1. This sanction is being granted under the provision of 'The Greater Noida Industrial Development Area Building Regulation 2005.
2. The validity of this sanction is **up to-5 Years**
3. In case allotment is cancelled/lease in determine for whatsoever reason by functional department, aforesaid sanction shall automatically be deemed to have been withdrawn.
4. During this period, after the completion of construction it is necessary to apply for occupancy certificate. **Time extension charge shall be payable as applicable.**
5. If demanded by the Authority. You shall be liable to pay charges for the provision of any further facilities/development/improvement.
6. A copy of the sanction drawing shall always be kept at site and shall be made available to any officer of the Authority on demand.
7. No addition/alteration is permitted in the sanctioned drawings. For any changes prior permission from the Authority required.
8. You shall be responsible for carrying out the work in accordance with the requirements of Greater Noida Industrial Development Building Regulation 2005. and direction made from time to time.
9. Prior permission is required before digging an under ground bore well.
10. No activity other than as specified in lease deed shall be permitted in the premises
11. Prior permission is permission from the Authority is required for temporary structure also like labour huts & site office
12. Gate shall open on to the service road only. Direct access to the main carriageway shall not be provided.
13. Services, rain water harvesting shall be laid as per approval of Authority.
14. No parking of any kind shall be permitted on r/w of road.
15. Pejometer shall have to be installed as per direction issued by Authority.
16. Complying with all the requirement for obtaining NOC from various departments prior to submission of application for occupancy shall be the responsibility of allottee irrespective of the proposal sanctioned by GNIDA.
17. **This drawing is being sanction for a height of 24.0 mtrs only.**
18. **For buildings with heights more than 30.0 m, NOC from airport authority shall be submitted in the planning department Based on this NOC, Clause a above shall be cancelled and revised letter shall be issued.**
19. Before starting construction, the NOC is required from Ministry of Environment & Forest under notification no-60(A) dated 27-1-1994 and its amendment from time to time or under notification dated 14-09-2006 which ever is applicable. The copy of shall be submitted to the Authority. If construction is started before obtaining the NOC, the sanction shall be treated as cancelled.
20. Before starting construction, the NOC is required from Central Ground Water Authority under notification dated 15.11.2012. The copy of N.O.C. from C.G.W.A. shall be submitted to the Authority. If construction is started before obtaining the NOC, the sanction shall be treated as cancelled.
21. Mechanical ventilation to be provided in the basement as per I.S Code

Encl: Copy of sanctioned drawings ()
Copy to: G.M. (Engg.) for information and n.a.

28/10/16
LEENU SAHGAL
G.M. (Plng&Arch)



कार्यालय

संयुक्त निदेशक

फायर सर्विस

मुख्यालय

उ०प्र० लखनऊ।

पत्रांक:भ-26/जे०डी०/फा०स०/लखनऊ-15(गौतम०)/396

दिनांक: अक्टूबर

27

2016,

सेवा में,

महाप्रबन्धक (वास्तु एवं नियोजक),

ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण,

गौतमबुद्धनगर।

विषय:

मैसर्स ए०आर० लैण्डक्राफ्ट एलएलपी द्वारा प्लॉट न० आईपी-1, सेक्टर-27 ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित विलाज (विलाज वी-1, से वी-8 तक) कुल-805 विलाज भवनों के निर्माण हेतु मानचित्रों की स्वीकृति हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:

यूआईडी:2016/25458/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/5910/जे०डी०

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयके अवगत कराना है कि आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रश्नगत प्रस्तावित विलाज भवनों के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर से किया गया है।

उक्त के अनुपालन में प्रस्तुत मानचित्रों का परीक्षण अग्निशमन अधिकारी सूरजपुर ग्रेटर नौएडा द्वारा कर अपनी संस्तुति आख्या मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को उपलब्ध करायी गयी, मु०अ०श०अधि० द्वारा उनकी आख्या का सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण कर अपनी आख्या दिनांक: 26-10-2016 उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ/सहारनपुर परिक्षेत्र को उपलब्ध करायी गयी, उपलब्ध कराई गयी आख्या का सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण कर उनके द्वारा अपनी संस्तुति आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी गयी जिसका एरिया विवरण निम्नवत है:-

भवन संरचना-मानचित्रों के अनुसार कुल प्लॉट एरिया-4,03,575.00 वर्ग मी० है। जिसमें प्रस्तावित विलाजों का फ्लोरवाइज एरिया विवरण निम्नवत है:-

1-प्रश्नगत भवन को इस कार्यालय के समांक पत्र दिनांक: जून, 2015 के माध्यम से प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है, वर्तमान में संशोधित प्रस्तावित विलाज का विवरण निम्नवत है।

क्र०स०	नाम विलाज	संख्या	बेसमेन्ट	मूलत	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	ऊँचाई मी०।
1	वी-1-100 वर्ग गज टाईप-1	21	00.00	57.65	56.99	56.99	35.54	12.85
2	वी-1-100 वर्ग गज टाईप-2	201	00.00	57.65	56.99	56.99	35.54	12.85
3	वी-1-100 वर्ग गज टाईप-3	23	00.00	57.65	56.99	56.99	35.54	12.85
4	वी-2 125 वर्ग गज टाईप-1	158	00.00	65.19	64.52	64.52	40.61	12.85
5	वी-2 125 वर्ग गज टाईप-2	26	00.00	65.19	64.52	64.52	40.61	12.85
6	वी-2 125 वर्ग गज टाईप-3	32	00.00	65.19	64.52	64.52	40.61	12.85
7	वी-3 150 वर्ग गज टाईप-1	05	00.00	87.70	86.49	80.57	45.64	12.85
8	वी-3 150 वर्ग गज टाईप-2	06	00.00	87.70	86.49	80.57	45.64	12.85
9	वी-3 150 वर्ग गज टाईप-3	74	00.00	87.70	86.49	80.57	45.64	12.85
10	वी-3 150 वर्ग गज टाईप-4	08	00.00	89.12	86.49	80.57	45.64	12.85
11	वी-3 150 वर्ग गज टाईप-5	07	00.00	89.12	86.49	80.57	45.64	12.85
12	वी-3 150 वर्ग गज टाईप-6	13	00.00	89.12	86.49	80.57	45.64	12.85
13	वी-4 180 वर्ग गज टाईप-1	03	67.53	82.14	78.61	56.01	48.02	13.65
14	वी-4 180 वर्ग गज टाईप-2	05	67.53	82.01	78.61	56.01	48.02	13.65
15	वी-4 180 वर्ग गज टाईप-3	71	67.53	82.01	78.61	56.01	48.02	13.65
16	वी-4 180 वर्ग गज टाईप-4	05	67.53	83.01	78.61	56.01	48.02	13.65
17	वी-4 180 वर्ग गज टाईप-5	13	67.53	82.86	78.61	56.01	48.02	13.65
18	वी-4 180 वर्ग गज टाईप-6	13	67.53	82.86	78.61	56.01	48.02	13.65
19	वी-5 220 वर्ग गज टाईप-1	05	98.07	97.92	96.71	60.33	43.90	13.80
20	वी-5 220 वर्ग गज टाईप-2	04	98.07	97.92	96.71	60.33	43.90	13.80
21	वी-5 220 वर्ग गज टाईप-3	48	98.07	97.92	96.71	60.33	43.90	13.80
22	वी-5 220 वर्ग गज टाईप-4	06	98.07	101.91	96.71	60.33	43.90	13.80
23	वी-5 220 वर्ग गज टाईप-5	04	98.07	101.91	96.71	60.33	43.90	13.80
24	वी-5 220 वर्ग गज टाईप-6	03	98.07	101.91	96.71	60.33	43.90	13.80
25	वी-6 300 वर्ग गज टाईप-1	05	120.52	161.35	141.63	84.78	00.00	10.95

(अरविन्द कुमार)

संयुक्त निदेशक, फायर

उ०प्र० लखनऊ



26	वी-6 300 वर्ग गज टाईप-2	23	120.52	161.35	141.63	84.78	00.00	10.95
27	वी-6 300 वर्ग गज टाईप-3	01	120.52	161.35	141.63	84.78	00.00	10.95
28	वी-7 500 वर्ग गज टाईप-1	03	199.20	188.80	158.91	167.03	59.41	14.40
29	वी-7 500 वर्ग गज टाईप-2	10	199.20	188.80	158.91	167.03	59.41	14.40
30	वी-8 1000 वर्ग गज टाईप-1	07	384.63	363.34	292.41	177.90	184.84	14.60
31	वी-8 1000 वर्ग गज टाईप-2	02	384.63	368.49	292.41	187.27	184.84	14.60
32	क्लब हाऊस	01	240.44	407.53	393.82	203.51	211.08	20.00

ढाँचागत व्यवस्था:-

1-पहुँच मार्ग- मानचित्रों में प्लॉटों के सामने रोड की चौड़ाई 60, 20, 18 एवं 12 मीटर मानको के अनुसार अंकित की गई है जिस पर अग्निशमन वाहन सुगमता पूर्वक आ जा सकते हैं।

2-प्रवेश द्वार- प्रवेश द्वार की चौड़ाई चौड़ाई 06.00 मी० से कम एवं गेट पर आर्च होने की दशा में न्यूनतम ऊँचाई 06 मी० (एण्ट्री एवं एग्जिट) मानको के प्राविधानित है।

3-सैटबेक- प्रत्येक प्लॉट में भवन विनियमावली के अनुसार सैटबेक छोड़े जाने अनिवार्य होंगे तथा इण्टरनल रोड की चौड़ाई भवन विनियमावली के अनुसार छोड़े जाने अनिवार्य होंगे।

4-निकास मार्ग:- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक विलाज में 01 अदद स्टेयरकेस जिसकी चौड़ाई 01.00 मी० प्रस्तावित है। तथा प्रस्तावित निकास मार्गों की फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

घ-अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ कराया जाना वॉच्छनीय है।

1-होजरील/डाउनकमर:- प्रस्तावित विलाज वी-8 एवं क्लब हाऊस के प्रत्येक विलाज में होजरील, लैण्डिंग वाल्व, होज पाईप एवं ब्रान्च पाईप एन0बी0सी0 मानको के अनुसार प्राविधानित है।

2-टेरिस टैंक:- प्रस्तावित क्लब हाऊस एवं क्लब हाऊस के प्रत्येक विलाज की प्रत्येक टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 5,000 हजार ली० स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानको के अनुसार प्राविधानित है।

3-ऑटोमेटिक रिप्रिंक्लर सिस्टम:- प्रस्तावित विलाज वी-7 एवं वी-8 के बेसमेन्ट में ऑटोमेटिक रिप्रिंक्लर सिस्टम एन0बी0सी0 एवं सम्बन्धित मानको के अनुसार प्राविधानित है।

4-मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन में मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय नहीं है।

5-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक विलाज में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0-2190 के अनुसार प्राविधानित किये जायेगे हैं।

6-स्मोक एक्स्ट्रैक्शन:- प्रश्नगत भवन में सिंगल बेसमेन्ट प्रस्तावित है जिसमें नैचुरल वैंटीलेशन एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

7-एग्जिट साईनेज:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो में एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

8-भूमिगत टैंक एवं यार्ड हाईड्रेण्टस:- ले-आउट में प्रस्तावित अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र में अधिरोपित शर्तों के अनुसार भूमिगत टैंक एवं पम्प की व्यवस्थाओं को कराया जाना अनिवार्य होगा।

अतः उपरोक्तानुसार संस्तुति आख्याओं के आधार पर मैसर्स ए0आर0 लैण्डक्राफ्ट एलएलपी द्वारा प्लॉट न0 आरईपी-1, सेक्टर-27 ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित विलाज (विलाज वी-1, से वी-8 तक एवं क्लब हाऊस) कुल-805 विलाज व क्लब हाऊस भवनों के निर्माण हेतु मानचित्रों की स्वीकृति हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 एवं तत्समय पूर्वतः किसी अन्य विधि में उल्लेखित मानको के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाएँ मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र।

(अभिषेक कुमार)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
सहायक निदेशक

प्रतिलिपि: 1-उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ/सहारनपुर परिक्षेत्र को अनुपलनार्थ।

2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को अनुपलनार्थ।

3-अग्निशमन अधिकारी सूरजपुर ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को अनुपलनार्थ।

4-मैसर्स ए0आर0 लैण्डक्राफ्ट एलएलपी द्वारा प्लॉट न0 आरईपी-1, सेक्टर-27 ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को उपरोक्तानुसार अनुपलनार्थ।



Greater Noida Industrial Development Authority

169, Chitvan Estate Sector-Gamma, Greater Noida, Gautam Budh Nagar, 201306

PLG/(BP). 3459/VOL-2/253
Dated.....13.01.2017

CONDITIONAL with respect point no 19
vis-à-vis notification 60(A) dated 27-1-1994 and
its amendment from time to time and notification
dated 14-09-2006 issued by Ministry of
Environment & Forest and point no. 20 vis-à-vis
guidelines dt.15.11.2012 of C.G.W.A.

To,

M/s AR LANDCRAFT LLP
A-66, SECTOR- 63,
NOIDA, Distt. G.B. Nagar

Sir,

With reference to your application no- 76759, dated-27-12-2016 For grant of **Revised Sanction of layout plan on Plot no. REP-01, Sector- 27, Greater Noida** This is to inform you that the sanction is being granted by the Authority with the following conditions:

1. This sanction is being granted under the provision of 'The Greater Noida Industrial Development Area Building Regulation 2010.
2. The validity of this sanction is **up to-5 Years**
3. In case allotment is cancelled/lease in determine for whatsoever reason by functional department, aforesaid sanction shall automatically be deemed to have been withdrawn.
4. During this period, after the completion of construction it is necessary to apply for occupancy certificate. **Time extension charge shall be payable as applicable.**
5. If demanded by the Authority. You shall be liable to pay charges for the provision of any further facilities/development/improvement.
6. A copy of the sanction drawing shall always be kept at site and shall be made available to any officer of the Authority on demand.
7. No addition/alteration is permitted in the sanctioned drawings. For any changes prior permission from the Authority required.
8. You shall be responsible for carrying out the work in accordance with the requirements of Greater Noida Industrial Development Building Regulation 2005. and direction made from time to time.
9. Prior permission is required before digging an under ground bore well.
10. No activity other than as specified in lease deed shall be permitted in the premises
11. Prior permission is permission from the Authority is required for temporary structure also like labour huts & site office
12. Gate shall open on to the service road only. Direct access to the main carriageway shall not be provided.
13. Services, rain water harvesting shall be laid as per approval of Authority.
14. No parking of any kind shall be permitted on r/w of road.
15. Pejometer shall have to be installed as per direction issued by Authority.
16. Complying with all the requirement for obtaining NOC from various departments prior to submission of application for occupancy shall be the responsibility of allottee irrespective of the proposal sanctioned by GNIDA.
17. **Before starting construction, the NOC is required from Ministry of Environment & Forest under notification no-60(A) dated 27-1-1994 and its amendment from time to time or under notification dated 14-09-2006 which ever is applicable. The copy of shall be submitted to the Authority. If construction is started before obtaining the NOC, the sanction shall be treated as cancelled.**
18. **Before starting construction, the NOC is required from Central Ground Water Authority under notification dated 15.11.2012. The copy of N.O.C. from C.G.W.A. shall be submitted to the Authority. If construction is started before obtaining the NOC, the sanction shall be treated as cancelled.**
19. **Mechanical ventilation to be provided in the basement as per I.S Code**
20. **The promoter shall follow the apartment Act-2010 and its applicability to the project as per defined rules and amendments made in future. As per the provision of U.P. Apartment Rules 2011.**

13/1/17
LEENU SAHGAL
G.M. (Plng&Arch)

Encl: Copy of sanctioned drawings ()
Copy to: G.M. (Engg.) for information and n.a.



कार्यालय संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय लखनऊ।
पत्रांक: भ-26/जेडी/फा0स0/मेरठ-15/13 दिनांक: जनवरी 07 2017.
सेवा में,

महाप्रबन्धक (वास्तु एवं नियोजक),
ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण,
गौतमबुद्धनगर।
विषय: मैसर्स ए0आर0 लैण्डक्राफ्ट एलएलपी द्वारा प्लॉट न0 आरईपी-1, सेक्टर-27 ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित भवनों के निर्माण हेतु संशोधित मास्टर ले आउट प्लान (साइट प्लान) स्वीकृति हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र का निर्गत किया जाना।

यूआईडी 2015/10076/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/1874/जेडी
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रश्नगत प्रस्तावित भवनों के निर्माण हेतु तलपट योजना स्वीकृति हेतु संशोधित प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के अनुपालन में प्रस्तुत मानचित्रों का परीक्षण अग्निशमन अधिकारी ईकोटेक-3, ग्रेटर नौएडा द्वारा कर अपनी संस्तुति आख्या दिनांक: 01-09-2016 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को उपलब्ध करायी गयी तथा उनके द्वारा आख्या एवं मानचित्रों का सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र को उपलब्ध करायी गयी, उपलब्ध कराई गयी आख्याओं एवं मानचित्रों का सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण कर उनके द्वारा अपनी संस्तुति आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी गयी जिसका एरिया विवरण निम्नवत है:-

भवन संरचना-प्रश्नगत भवन की पूर्व में अनापत्ति प्रमाण इस कार्यालय के समांक पत्र दिनांक: 23-05-2015 एवं सितम्बर 2016 के माध्यम से निर्गत की गयी है।

1-मानचित्रों के अनुसार कुल प्लॉट एरिया-4,03,575.00 वर्ग मी0 अर्थात् 100 एकड़ है जिसमें आवासीय भवन(विलाज, अपार्टमेन्ट एवं क्लब) आदि प्रस्तावित है।

ढाचागत व्यवस्था:-

1-पहुँच मार्ग- मानचित्रों में प्लॉटों के सामने रोड की चौड़ाई 60, 18 एवं 12 मीटर मानकों के अनुसार अंकित की गई है जिस पर अग्निशमन वाहन सुगमता पूर्वक आ जा सकते हैं।

2-प्रवेश द्वार- प्रवेश द्वार की चौड़ाई 06.00 मी0 से कम एवं गेट पर आर्च होने की दशा में न्यूनतम ऊँचाई 06 मी0 (एण्ट्री एवं एग्जिट) मानकों के रखी जानी अनिवार्य होगी।

3-सैटबेक- प्रत्येक प्लॉट में सैटबेक नौएडा भवन विनियमावली के अनुसार छोड़े जाने अनिवार्य होंगे तथा इण्टरनल रोड की चौड़ाई भवन विनियमावली के अनुसार छोड़े जाने अनिवार्य होंगे।

4-इण्टर डिस्टेन्स बिटविन ब्लाक- प्रत्येक प्लॉट में इण्टर डिस्टेन्स बिटविन ब्लाक भवन विनियमावली के अनुसार सैटबेक छोड़े गये हैं जिनको बनाये रखा जाना अनिवार्य है तथा इण्टरनल रोड की चौड़ाई भवन विनियमावली के अनुसार छोड़े जाने अनिवार्य होंगे।

अग्निशमन व्यवस्था:-

1-समस्त टाउनशिप में 02 स्थानों पर अग्नि सुरक्षा हेतु भूमिगत टैंक क्षमता 2,00,000 दो लाख ली0 एवं 2280 एपीएम क्षमता का मैन विद्युत चालित पम्प इतनी ही क्षमता का डीजल चालित पम्प एवं 180 एलपीएम क्षमता का जौकी पम्प एवं पूरे परिसर में 45 मी0 पर यार्ड हाईड्रेण्टस की स्थापना एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है जिनको ले आउट में सांकेतिक किया गया है।

2-आवेदक द्वारा मानचित्रों में प्रस्तावित अलग अलग फैंशिल्टीज को सांकेतिक किया गया है जिनमें फायर सर्विस वाहनो की मोटरेबिल्टी दर्शायी गई जिनके मानचित्रों में इण्टर डिस्टेन्स बिटविन ब्लाक एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार रखी जानी अनिवार्य होगी।

3-ले आउट में नियोजित भवनों हेतु मानचित्र तैयार कर अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी जिनके अलग अलग भवनों में व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार वॉच्छनीय होगी।

4-ले आउट में दर्शाये गये रोड को हार्ड मोटरेबुल रखा जाना अनिवार्य होगा।


संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
लखनऊ

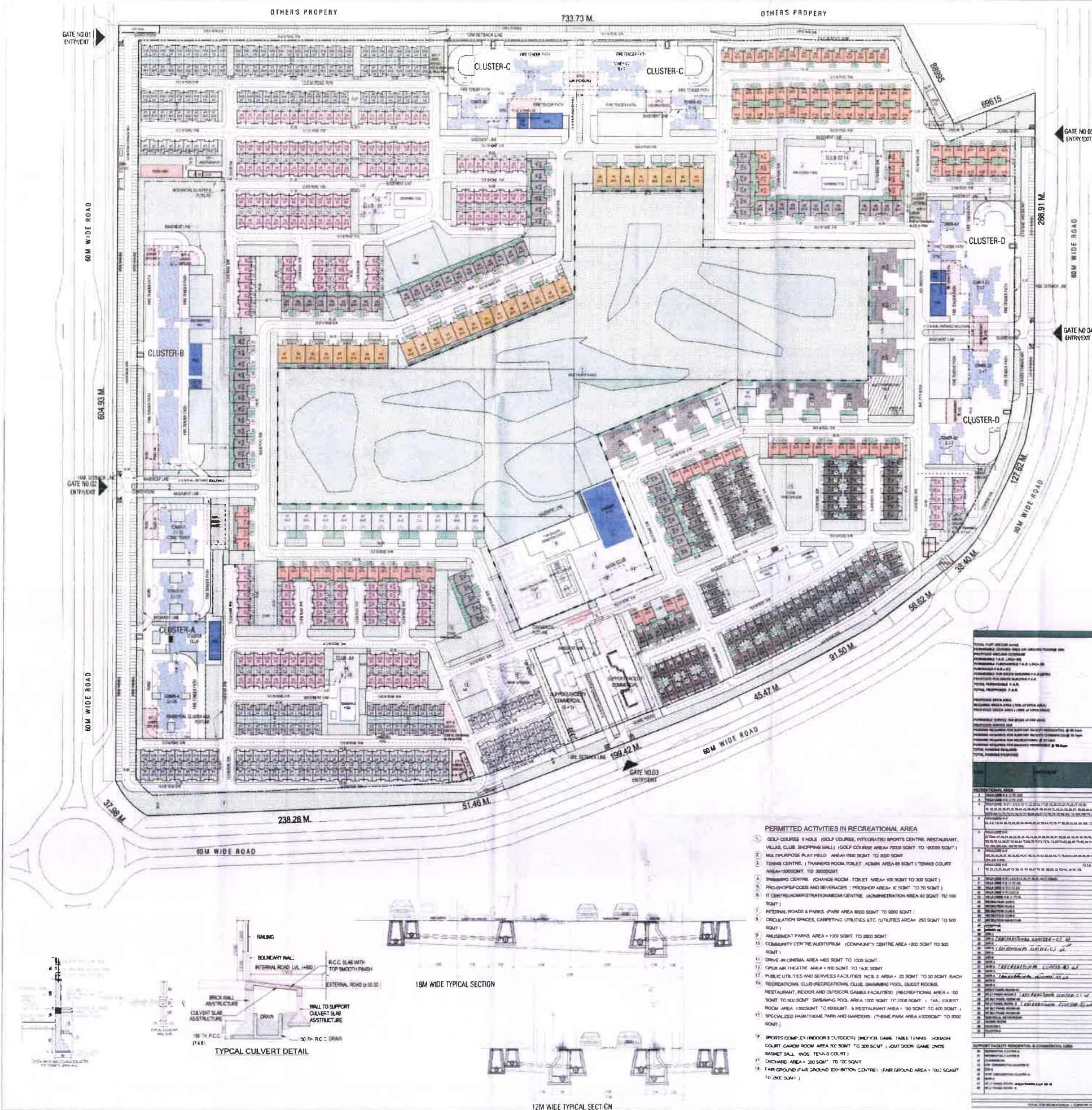


अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स ए0आर0 लैण्डक्राफ्ट एल0एलपी द्वारा प्लॉट न0 आरईपी-1, सेक्टर-27 ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित, संशोधित मास्टर ले आउट प्लान (साइट प्लान) हेतु अग्निशमन विभाग को मानको के अनुसार किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, तथा इस प्लान में प्रस्तावित भवनों के निर्माण हेतु मानचित्रों पर अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

(अग्निशमन विभाग)
संयुक्त निदेशक फायर सर्विस विभाग
उ0प्र0 लखनऊ

- प्रतिलिपि: 1-उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र को अनुपालनार्थ।
2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को अनुपालनार्थ।
3-अग्निशमन अधिकारी इकोटेक-3, ग्रेटर नौएडा को अनुपालनार्थ।
4-मैसर्स ए0आर0 लैण्डक्राफ्ट एल0एलपी द्वारा प्लॉट न0 आरईपी-1, सेक्टर-27 ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को अनुपालनार्थ।





MASTER AREA STATEMENT						
S.NO.	PARTICULAR	PERCENTAGE OF GRASS	IN %	PROPOSED	IN %	
1	FLAT AREA					
	FLAT AREA	4025.74 SQ. M	100%			
	RECREATION FLAT	4226.25 SQ. M	75%	3169.71 SQ. M	91.29%	
	SUPPORT FACILITY RESIDENTIAL COMMERCIAL FLAT	4208.78 SQ. M	25%	1031.730 SQ. M	6.71%	
2	P.A.R.					
	A. PERMISSIBLE FAR (L.P.)	10103.050 SQ. M	90.00%			
	B. SUPPORT FACILITY RESIDENTIAL FAR			74.79.138 SQ. M		
	C. SUPPORT FACILITY COMMERCIAL FAR			355.745 SQ. M		
	TOTAL (D-F)			7504.106 SQ. M	14.12%	
	D. PURCHASED FAR	7731.61 SQ. M	17.31%	8841.03 SQ. M	21.86%	
	SUPPORT FACILITY RESIDENTIAL FAR	1867.65 SQ. M	4.88%	1879.85 SQ. M	4.48%	
	RECREATIONAL FAR	542.95 SQ. M	14.96%	442.176 SQ. M	13.46%	
	TOTAL RECREATIONAL FAR	10103.050 SQ. M		10103.050 SQ. M	100.00%	
	TOTAL RECREATIONAL FAR			10103.050 SQ. M	100.00%	
	TOTAL SUPPORT FACILITY RESIDENTIAL FAR			10103.050 SQ. M	100.00%	
	C. PURCHASED RECREATIONAL FAR	7731.61 SQ. M	17.31%	7731.61 SQ. M		
	D. ADDITIONAL FAR FOR GREEN BELT/OPEN (L.P.) RECREATIONAL	15485.36 SQ. M		7114.80 SQ. M		
	TOTAL (G-H) + TODAY'S FAR	8762.377 SQ. M	61.71%	7983.117 SQ. M		
		10103.050 SQ. M	100.00%	7983.117 SQ. M	78.98%	
3	USE F.A.U.					
	F. USE FOR RECREATION	1124.79 SQ. M	15.98%	1024.000		
	G. USE FOR SUPPORT FACILITY RESIDENTIAL	245.18 SQ. M	15.98%	245.180		
	H. USE FOR SUPPORT FACILITY COMMERCIAL	245.18 SQ. M	15.98%	245.180		
	I. FAR FOR OPEN (L.P.) (F.A.U.)	10103.050 SQ. M	25%	10103.050 SQ. M	14.12%	
4	GROUND COVERAGE					
	GROUND COVERAGE FOR RECREATIONAL			7440.407 SQ. M	16.62%	
	GROUND COVERAGE FOR SUPPORT FACILITY RESIDENTIAL			5493.54 SQ. M	1.48%	
	GROUND COVERAGE FOR SUPPORT FACILITY COMMERCIAL			295.54 SQ. M	0.18%	
	TOTAL GROUND COVERAGE	10103.050 SQ. M	25%	8289.487 SQ. M	14.12%	
5	GRASS PLANTATION AREA					
	GRASS PLANTATION AREA @ 20% OF FLAT AREA	10086.75 SQ. M	20%	10121.75 SQ. M	25.13%	
6	OPEN AREA					
	OPEN AREA @ 5% OF OPEN AREA	15434.62 SQ. M	10.00%	14398.62 SQ. M	96.46%	
7	TREE					
	TREE	14250	14250 N/2	3600 N/2		
8	BASEMENT AREA @ 20% FAR					
	BASEMENT AREA UNDER SUPPORT FACILITY RESIDENTIAL	8071.80 SQ. M	20.00%	2018.25 SQ. M		
	BASEMENT AREA UNDER SUPPORT FACILITY COMMERCIAL			2775.02 SQ. M		
	BASEMENT AREA UNDER RECREATIONAL			14684.37 SQ. M		
		10103.050		2018.25 SQ. M	14.12%	
9	PARKING					
	PARKING FOR SUPPORT FACILITY RESIDENTIAL @ 20% FAR	111.61 SQ. M				
	PARKING FOR SUPPORT FACILITY COMMERCIAL @ 20% FAR	4778				
	PARKING FOR RECREATIONAL @ 20% FAR	6427.53				
	PARKING FOR BALANCED PERMISSIBLE @ 20% FAR	10103.050		8628.82		

TOWN PLANNERS SIGNATURE

Samir Desai

Key Plan



LEGEND

PLOT LINE
 SETBACK LINE
 BASEMENT LINE

VILLA - /1 100 SQ. YD.
VILLA - /2 125 SQ. YD.
VILLA - /3 150 SQ. YD.
VILLA - /4 180 SQ. YD.
VILLA - /5 200 SQ. YD.
VILLA - /6 250 SQ. YD.
VILLA - /7 300 SQ. YD.
VILLA - /8 1000 SQ. YD.
SUPPORT FACILITY/RESIDENTIAL
FUTURE DEVELOPMENT
COMMERCIAL
CLUB
MEP SERVICES
GUARD ROOM
DESIGNER PLANTATION
CENTRAL AREA

Architects Signature _____

Council of Representatives
Registration No. C-00000

Q.

Author's Sign

M/S AR Landcraft LLP

Services Consultant
Consummation Engineering
P.O. Box 1111, 17100
17100, PA 17100

ARCOP ASSOCIATES
A-15, PAMPOSH ENO
New Delhi-110 048

PROPOSED RECREATION
ENTERTAINMENT PARK
NO. PER-1 SECTOR

Drawing Title

CALCULATIONS	
DATE:	

AGENDA	DATE
Time	Side
01-01-2004	01:0000

